

यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
अलवर [ राज० ]

दिख हुकम	हुकम या कार्यवाही
-7.18	<p>पत्रावली पेश हुई। सरिसते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाये। अपील के साथ संलग्न स्थान प्रार्थना - पत्र पर अपील अतिभाष्य को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर अग्र बरने एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। अतः प्राथमिक अदालत के ही -धारणों ही करें। अर्थात् यायालय उपरान्त (अधिकारी सुझाव) को आदेश दिया जाता है कि स्थान प्रार्थना - पत्र पर अपीलान्त को सुने बिना कोई आगामी कार्यवाही नहीं की जाये। उपरोक्त परिशेषित (Remarks) किया जाता है। पत्रावली प्रैसल सुभार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद लक्ष्मील जाहल दारिल बकलर की जाये।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर